छत्तीसगढ़

अक्टूबर-दिसम्बर 2021 अंक-02

www.cgpanch.org

छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क (सीजी-पंच)

पंच संवाद

छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क फार चिल्ड्रेन

सीजी-पंच का मुख पत्र

जिले मे मेंड्राखुर्द को मिला उत्कृष्ठ ग्रामपंचायत का सम्मान

सरगुजा:- अंबिकापुर ब्लाक के मेंड्राखुर्द पंचायत सरपंच बुदेला राम सोनपाकर को समान वजट में दुसरे पंचायतों से बेहतर गुणवत्ता का कार्य करने पर रायपुर इंडोर स्टेडियम के पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मेलन में ग्रामपंचायत मेंड्राखुर्द को जिले को बेहतर ग्रामपंचायत होने का सम्मान दिया गया और ग्राम सरपंच बुदेला राम सोनपाकर को मुख्यमंत्री द्वारा श्रीफल शाल द्वारा सम्मानित किया गया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई ग्रामपंचायत जहाँ लोगो का अत्यधिक जमावड़ा होता है वहां सुलभ सौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है जिसका वजट 3.5 लाख रूपये तय है, शुलभ सौचालय का निर्माण कई ग्रामपंचायतों में किया गया परन्तु समान वजट में जो गुणवत्ता मेंड्राखुर्द में पाई गई वो जिले में कहीं नहीं पाई गई , साथ ही विधयक मद से 2018 - 2019 में 2 लाख रुपये की लागत से सांस्कृतिक मंच बनवाया गया जिसकी गुणवत्ता देख कई अधिकारी भी हैरान रह गये कि 2 लाख रूपये की वजट में इतना बेहतर मंच कैसे बनवाया जा सका, मंच व् शुलभ सौचालय निर्माण का स्तर देख राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंह देव ने भी सरपंच बुदेला राम सोनपाकर की भूरि भूरि प्रशंशा की। साथ ही कई दूसरे पंचायत के सरपंच को भी यहाँ का काम दिखने लाया गया ताकि इस माडल को देख कर सभी अपने अपने ग्रामपंचायत में भी इस स्तर का कार्य करवा सकें, वहीं सरपंच जी के द्वारा कई और कार्य करवाए गए जो अति सराहनीय है। जैसे 100 मिटर पेवर ब्लाक के माध्यम से सड़क निर्माण,इनके किनारे किनारे साज सज्जा के लिए बागवानी, बाउन्डरी वाल और कई पेड़ पौधे लगाये गए, मुक्ति धाम का सीमा.कन जो की सही नहीं था 2.95 एकड़ भूमि को चिन्हांकित कर वहां शेड निर्माण करा कर मनरेगा के माध्यम से तालाब का निर्माण करवाया गया, आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में जमीन अतिक्रमण था जिसको हटाने को लेकर मामला न्यायालय ले जाया गया और अतिक्रमण हटाने का प्रयास निरंतर जारी है सरपंच बुदेला राम सोनपाकर जी के द्वारा कई ग्रामीणों को वनाधिकार पत्र दिलवाने का प्रयास किया गया जो कि कई सालों से लंबित था, कलेक्टर जन दर्शन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया जिस कारण वर्षों से लंबित पड़ा ये समस्या आज समाधान के कगार पर है।

बुदेला राम सोनपाकर सरपंच मेंड्राखुर्द

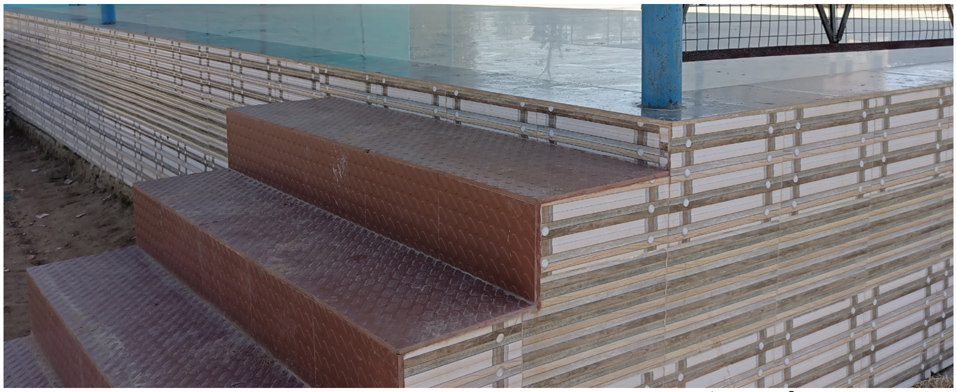

मेंड्राखुर्द ग्रामपंचायत

सरपंच द्वारा ग्रामीणों को आर्थिक मदद

गट्टीडांड़ सडक

बलरामपुर- संकरगढ़ ब्लाक परेवा ग्रामपंचायत के सरपंच श्री सकलदीप बखला ने अपने ग्रामपंचायत में कई विकास कार्य करवा रहे है साथ ही ग्रामीणों की कुछ आर्थिक आय हो सके इसके लिए मनरेगा से डबरी निर्माण कार्य भी करवाया, 100 दिन का रोजगार गारंटी का काम खत्म होने के बावजूद उन्होंने 30 दिन का अतिरिक्त काम निकलवाया तथा कई नये मजदूर को रोजगार पंजीयन करवा कर वित्तीय सहायता प्रदान की जिससे उनके ग्रामपंचायत के ग्रामीणों में खुशियाली आई, कई मजदूर जो की अपने परिवार की शादी विवाह की जरुरत के पैसों लिए जूझ रहे थे उनको कही न कहीं आर्थिक सहायता मिली तथा कई मजदूर छोटे-मोटे आर्थिक संकट से छुटकारा पाये

ग्रामपंचायत में गट्टीडांड़ पहाड़ी कोरबा पारा जहाँ पर पहाड़ी कोरबा रहते है, वहां पिछले कई वर्षों से आने-जाने के लिए सडक नहीं थी सरपंच श्री सकलदीप बखला जी के अथक प्रयास से अब वहा सडक निर्माण कार्य शुरू हो चूका है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा पारा में बिजली व् पानी की भी समस्या है इन सभी मूलभूत सम. स्याओं के दूर करने हेतु सकलदीप बखला लगातर प्रयासरत रहे, कई सम्बन्धित अधिकारीयों के समक्ष बार बार इस मुद्दे को रखते रहे उनका ये प्रयास आज रंग ला रहा है, सम्बन्धित अधिकारीयों से लगातर चर्चा के बाद उन्हें आश्वाशन मिला है, कि जैसे ही रोड का कार्य पूरा होगा वहां बिजली तथा पी.एच.ई. बोर करवा कर रनिंग वाटर लगवा दिया जायेगा।

सरपंच सकलदीप बखला अपने ग्रामपंचायत के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं।

सकलदीप बखला, सरपंच, परेवा

17 सतत विकास लक्ष्य(SDGs)

सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था. इस सम्बन्ध में महासभा की बैठक न्यूयार्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गयी थी. इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए "17 लक्ष्य" तय किये गये थे जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था. इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था।

जैसा कि हमें पता है कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals) 2015 में समाप्त हो गए थे इसलिए इन विकास लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था।

इस सम्बन्ध में महासभा की बैठक न्यूयार्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गयी थी. इस बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 'लक्ष्य तय किये गये थे जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था. इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था. इस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की विषय (Transforming our world)2030 Agenda for Sustainable Development थी।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़े गये हैं।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में ''विक. सित'' और ''विकासशील'' देशों के बीच कोई अंतर नहीं है और ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे. इन लक्ष्यों में कई देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ''कोई देश पीछे नहीं छूटे'' के सिद्धांत पर आधारित हैं।

17 लक्ष्य इस प्रकार हैं

लक्ष्य -1	गरीबी की पूर्णत: समाप्ति	दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। अभी उन लोगों अत्यधिक गरीब माना जाता है जो कि प्रतिदिन $ 1.25 से कम में जिंदगी गुजारते हैं।
लक्ष्य -2	भुखमरी की समाप्ति	भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
लक्ष्य -3	अच्छा स्वास्थ्य और जीवनस्तर	सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवनस्तर में सुधार लाना।
लक्ष्य -4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	समावेशी और न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।
लक्ष्य -5	लैंगिक समानता	लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना।
लक्ष्य -6	साफ पानी और स्वच्छता	सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना।
लक्ष्य -7	सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा को पहुंच सुनिश्चित करना।
लक्ष्य -8	अच्छा काम और आर्थिक विकास	निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ, उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना।
लक्ष्य -9	उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचे का विकास	मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना।
लक्ष्य -10	असमानता में कमी	देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना।
लक्ष्य -11	टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास	शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।
लक्ष्य -12	जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन	उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना।

लक्ष्य -13	जलवायु परिवर्तन	जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना।
लक्ष्य -14	पानी में जीवन	टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना।
लक्ष्य -15	भूमि पर जीवन	सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
लक्ष्य -16	शांति और न्याय के लिए संस्थान	टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना सौर सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना।
लक्ष्य -17	लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी	सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) मानव जीवन के लगभग हर पहलू को कवर कर रहे हैं। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर हासिल किए जाते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि दुनिया भर में गरीबों का जीवन आसान होगा और उन्हें जीने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। 1 दिसम्बर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है।

योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजट का प्रावधान करा लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानो की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोत्तरी हुई है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नगदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है। इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमान्त हैं, जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है। लेकिन इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ ले कर काफी खुश हैं। अब इस योजना में सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकारें ऐसे किसानों की जोत के साथ उनके बैंक खाते और अन्य ब्यौरा केंद्र सरकार को मुहैया कराती है। उसकी पुष्टि के बाद केन्द्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करती है। योजना की सफलता में डिजिटल प्रणाली की भूमिका अहम साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसान भाई दो माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पहला माध्यम- कामन सर्विस सेंटर है।

दूसरा माध्यम- किसान भाई खुद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कामन सर्विस सेंटर (CSC) से पीएम किसान योजना के लिए कैसे आवेदन करें

किसान योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाना होगा।

वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं जमीन के दस्तावेज ले कर जाना होगा।

CSC संचालक को सभी डाक्यूमेंट दें और किसान योजना में आवेदन करने को कहें।

आवेदन शुल्क देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन और आवेदन हो जायेगा

आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन है इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है. मात्र 5 से 10 मिनट में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज

- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- खाता खतौनी की नकल
- बैंक अकाउंट का विवरण
- उम्मीदवार भारत देश का निवासी होना अनिवार्य है।
- कृषक होने का प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- किसान आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

आनलाइन खुद कैसे आवेदन करें

सबसे पहले पीएम किसान योजना के लिए नया आवेदन करने के लिए pmkisan-gov-in पर जाएँ, यह पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट है।

1) अब यहां New Farmer Registration के विकल्प पर क्लिक करें।
2) इसके बाद आपको अपना आधार नंबर सब्मिट करना है।
3) आधार नंबर सब्मिट करने के बाद किसान योजना आवेदन फार्म खुल जायेगा।
4) आवेदन फार्म में मांगी गयी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और फार्म को सब्मिट कर दें

इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा

आवेदन के पश्चात् आपका आवेदन सत्यापन के लिए आपके ब्लाक में भेजा जाएगा, ब्लाक से सत्यापित होने के बाद आपका आवेदन जिला कल्याण विभाग को भेजा जाएगा, तद्पश्चात राज्य सरकार इसको सत्यापित करेगी और अंत में केंद्र सरकार के पास आपका आवेदन आनलाइन ही सत्यापन के लिए पहुच जायेगा, केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सहायता राशि आपके खाते में आनी शुरू हो जायेगी।

पेसा कानून छत्तीसगढ़

पेसा कानून समुदाय की प्रथागत, धार्मिक एवं परंपरागत रीतियों के संरक्षण पर असाधारण जोर देता है। इसमें विवादों को प्रथागत ढंग से सुलझाना एवं सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध करना भी सम्मिलित है। कानून की धारा 4 अ एवं 4 द निर्देश देती है कि किसी राज्य की पंचायत से संबंधित कोई विधि उनके प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक रीतियों तथा सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंध व्यवहारों के अनुरूप होगी और प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन, उनकी सांसेंतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों एवं विवादों को प्रथागत ढंग से निपटाने में सक्षम होंगी।

पेसा कानून का पूरा नामः- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 {the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act,1996} जो पेसा के नाम से जाना जाता है, संसद का एक कानून है न कि पांचवीं एवं छठी अनुसूची जैसा सवैधानिक प्रावधान। परंतु भारत की जनजातियों के लिए यह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वे सवैधानिक प्रावधान। जैसा कि हम देख चुके हैं, छठी अनुसूची इसके अंतर्गत आने वाले सीमित जनजाति क्षेत्रों को ही अपने स्वयं को स्वायत्त रूप से शासित करने का अधिकार देती है। पेसा कानून अपनी परंपराओं एवं प्रथाओं के अनुसार पांचवीं अनुसूची की जनजातियों को उसी स्तर का स्वायत्त शासन देने की संभावनाओं का अवसर प्रस्तावित करता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए यह अधिनियम एक मूलभूत कानून का स्थान रखता है।

पेसा कानून छत्तीसगढ़ / पेसा अधिनियम की विशेषता / पेसा ग्राम सभा

एक तरह से यह कानून ही है जो संविधान की पांचवीं अनुसूची देश के 10 राज्यों में लागू है। ये हैं- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं राजस्थान। ये राज्य 10.4 करोड़ जनजाति लोगों में से 7.6 करोड़ लोगों को समावेशित करते हैं जो 2011 की जनगणना में गिने गए थे। इस प्रकार पेसा के अंतर्गत जनजातियों की 73 प्रतिशत जनसंख्या आ जाती है। दूसरी तरफ छठी अनुसूची में उत्तर-पूर्व का कुछ ही जनजाति क्षेत्र आता है, संपूर्ण उत्तर- पूर्व में जनजातियों की जनसंख्या मात्र 1.24 करोड़ है। इस प्रकार पेसा अधिनियम जनजातियों की बड़ी जनसंख्या को शक्ति प्रदान करता है।

जनजातियों के लिए अधिक प्रासंगिक है यह अधिनियमः-

जनजातियों के लिए यह अधिनियम छठी अनुसूची की तुलना में अधिक प्रासंगिक है। जनजातियां पृथक एवं राजनैतिक रूप से अधिक दुर्बल हैं। हालांकि सांस्कृतिक रूप से वे भारतीय समाज का एक दैदीप्यमान भाग हैं। पांचवीं अनुसूची में बसीअधिकांश जनजाति जनसंख्या और वे भी जो इस संरक्षण सूची से बाहर बिखरी हुई है विषेश रूप से कमजोर हैं। मील का पत्थर साबित हुई पेसा इसे कानूनी मान्यता देता है। इस अधिनियम का पारित होना एक महान राजनैतिक प्रतिबद्घता का कार्य था। इस अधिनियम ने सत्ता के संतुलन को बदलने का कार्य किया, कम से कम स्थानीय स्तर पर तो इसने जनजातियों के पक्ष में किया जहां इसने स्वशासन की व्यवस्था दी है। इसने यह स्वीकार किया है कि उनकी जीवन शैली, मूल्य व्यवस्था और विश्व के प्रति दृष्टिकोण ठीक है और इसे स्वीकार करते हुए इस बात को मान्यता दी कि जनजातियां स्वशासन में सक्षम हैं।

1992 में संसद ने भारत के संविधान का ऐतिहासिक 73वां संशोधन अधिनियम पारित किया जिसमें प्रतिनिधि शासन का तीसरा स्तर बनाया गया था। पूर्व के दो स्तरों केंद्र एवं राज्य के बाद यह तीसरा था। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों ने यह तीसरी परत बनाई। उन्हें संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर इसमें वर्णित विषयों पर व्यवहार करने की सवैधानिक शक्ति दी। इस अनुसूची ने संविधान की पूर्व की तीन सूचियों, केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का अनुपूरक बनाया जो कि मूलतः सातवीं अनुसूची में है। ग्यारहवीं अनुसूची के अतिरिक्त 73वें संशोधन से संविधान में एक और भाग जोड़ा गया पंचायतें, इसमें ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों आदि के ढांचे और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं को देखते हुए इस क्रांतिकारी संशोधन का क्रमशः पांचवीं एवं छठी अनुसूची के अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में यंत्रवत विस्तार करना संभव नहीं होता। इसलिए भाग के अनुच्छेद 243 एक को इन क्षेत्रों एवं नगालैंड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को इसकी क्रियान्विती से बाहर रखा। संसद ने तीन वर्षों बाद दिसंबर 1996 में पेसा अधिनियम पारित किया और जनजातियों की विषेश स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं अपवाद के साथ भाग को पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया।

ये वे अपवाद एवं परिवर्तन हैं जो कानून की धारा 4 में उल्लेखित हैं जो इस कानून को जनजातियों के लिए विशिष्टता प्रदान करते हुए उन्हें भिन्न प्रकार के अधिकार एवं विशेशाधिकार देता है। नीचे हम कुछ विस्तार के साथ इस कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की सूची देते हैं।

प्रथाओं एवं परंपराओं का संरक्षण

पेसा कानून समुदाय की प्रथागत, धार्मिक एवं परंपरागत रीतियों के संरक्षण पर असाधारण जोर देता है। इसमें विवादों को प्रथागत ढंग से सुलझाना एवं सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध करना भी सम्मिलित है। कानून की धारा 4 अ एवं 4 द निर्देश देती है कि किसी राज्य की पंचायत से संबंधित कोई विधि उनके प्रथागत

कानून, सामाजिक एवं धार्मिक रीतियों तथा सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंध व्यवहारों के अनुरूप होगी और प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन, उनकी सांसैंतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों एवं विवादों को प्रथागत ढंग से निपटाने में सक्षम होंगी।

ग्राम सभा को पंचायत से ऊपर स्थान

अधिनियम में ग्राम सभा को परिभाषित कर इ गांव की मतदाता सूची के सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है (धारा 4स) पंचायत की तुलना में यह कहीं अधिक प्रतिनिधित्व वाली इकाई है जिसमें कुछ ही निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। कानून ने छोटी इकाई पंचायत को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी बना दिया है। जिसमें गांव समुदाय के सभी लोग होते हैं। कानून गांव के सामाजिक-आर्थीक विकास से संबंधित सभी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा पुश्टि के बाद ही पंचायतों द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया जा सकेगा (धारा 4 य (द) और क्रियान्वयन के बाद इन सभी के लिए हुए व्ययों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पंचायत को ग्राम सभा से लेना होगा जिसकी पूर्व में उसने पुश्टि की थी (धारा 4 र)। कानून ग्राम सभा (न कि पंचायत) को ही यह दायित्व देता है कि वह गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्तियों की पहचान या चयन करे ।

जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व

जनजातियों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व हेतु कानून यह आदेश देता है कि आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतों में उन पंचायतों की जनजाति जन. संख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित होंगे, इस परंतुक के साथ कि पंचायत के कुल स्थानों में से न्यूनतम आधे स्थान जनजातियों के लिए आरिक्षत होंगे और यह भी कि पंचायतों सभी स्तरों के अध्यक्ष का स्थान जनजातियों हेतु आरक्षित रहेगा (धारा 4ल)।

बीते महीने

सम्भागस्तरीय समिति का हुआ चुनाव

सीजी पंच जिसका की मुख्य उद्देश्य है राज्य के सरपंचों, खासकर महिला आदिवासी सरपंचो का शक्तिकरण एवं क्षमता वर्धन करना जिसमे विभिन्न मुद्दे जैसे की स्वस्थ, सुरक्षा, शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि पर प्रशिक्षण देकर सरपंचों की कार्य शैली में और गुणवत्ता लाना।

इसी तारतम्य में इस महीने जिलास्तरीय समिति के पदाधिकारियों की बैठक 13/12/2021 को एम.एस. एस.व्ही.पी. अंबिकापुर के सभाकक्ष में रख्खी गई जिसमे संभागीय स्तर समिति की चुनाव की गई ताकि सीजी पंच की कार्य क्षमता को और गति दी जा सके, संभागीय स्तर पदाधिकारियों का चयन सभी आगन्तुक सरपंचों की द्वारा कीया गया जिसमे सम्भागीय मुख्य सलाहकार श्री सोबरन सिंह ग्रामपंचायत सालियाभाटा ब्लाक पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा, सम्भागीय मुख्य संयोजक बिमला सिंह मरावी ग्रामपंचायत पटना ब्लाक रामानुज नगर जिला सूरजपुर, सम्भागीय उपमुख्य संयोजक श्री हेम सिंह ग्रामपंचायत सुन्द. रपुर ब्लाक भैयाथान जिला सूरजपुर, सम्भागीय अ मिडिया प्रभारी श्री कामेश राम ग्रामपंचायत खजुरी ब्लाक अंबिकापुर जिला सरगुजा एवं सम्भागीय कर्यालय सचिव श्री राजेश कुमार पैकरा ग्रामपंचायत चेटबा ब्लाक कांसाबेल जिला जशपुर को ध्वनि मत से चुना गया।